(129)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2763–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 456/अपील/2011–12.

---

नारायण पिता मांगू
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार जिला बुरहानुपर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मृतक हीरालाल पिता नामू द्वारा वारिसान
धनराज पिता हीरालाल
2– बुच्या पिता नामू (मृत) द्वारा वारिसान
अ. रामकिशन पिता बुच्या
ब. तोताराम पिता बुच्या
स. रमेश पिता बुच्या
निवासीगण ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
3– सुपड्या पिता कालू
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
4– कैलाश पिता बुढ़ा
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
5– लाड़कीबाई पिता लालचंद
निवासी ग्राम नागझिरी
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
6– सावित्रीबाई पति नंदू (मृत) द्वारा वारिसान
अ. श्याम पिता नंदू
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
7– नर्मदाबाई पति छगन
निवासी ग्राम बख्खारी
तहसील व जिला बुरहानपुर
8– विश्वनाथ पिता मांगू
निवासी ग्राम बख्खारी
तहसील व जिला बुरहानपुर

9– द्वारकीबाई पति जगन
निवासी ग्राम राजौरा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
10– सरस्वतीबाई बेवा संतोष
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
11– सुन्दरलाल विधवा छोटेलाल (मृत)
के वारिसान
कमलचंद उर्फ कमलेश पिता छोटेलाल
निवासी ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर
12– सोनी बाई पुत्री कालू
13– रमकाबाई पुत्री कालू
14– शांतीबाई पुत्री कालू
15– बायाबाई पुत्री कालू
16– प्यारीबाई पुत्री कालू
17– शोभाबाई पुत्री कालू
18– सुंदरबाई बेवा बुढ़ा
19– चंदाबाई पुत्री बुढ़ा
20– ताराबाई पुत्री बुढ़ा
निवासीगण ग्राम सांईखेड़ा
तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर .....अनावेदकगण

---

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.बी. महाजन, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 4
श्री के.के. किलेदार, अभिभाषक, शेष अनावेदकगण

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/06/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत उभय पक्ष के संयुक्त स्वामित्व की ग्राम शेखपुर तहसील खकनार जिला बुरहानपुर स्थित भूमि के

बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 56/अ–27/2009–10 दर्ज कर दिनांक 31–7–2010 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खकनार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–12–2011 को आदेश पारित कर बटवारा आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–6–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विधिवत प्रावधानों का पालन किये बिना आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए भी तहसीलदार द्वारा किया गया बटवारा निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष स्वत्व का प्रश्न उपस्थित हुआ था, अतः उन्हें तीन माह के लिए कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त नहीं कर गुण–दोष पर आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन करते हुए बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया

कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे की कार्यवाही कर बटवारा आदेश पारित किया गया है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु तीन माह के लिए प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की गई, परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय में न तो वाद प्रस्तुत किया गया है, और न ही व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया । इसके अतिरिक्त आवेदक अपने को मृतक भूमिस्वामी का दत्तक पुत्र होना भी प्रमाणित नहीं कर सका । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर